संख्या–1538 / सैंतीस–2–2023–5(53) / 18टीसी–6

प्रेषक,

शिव सहाय अवस्थी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

2– निदेशक,
प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक 11 जुलाई, 2023

विषयः–निराश्रित गोवंश के संरक्षण एवं भरण–पोषण की गाइडलाइन में संशोधन एवं डी0बी0टी0 प्रक्रिया के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 80 सीएम / सैंतीस–2–2023–5(53) / 18टीसी–6 दिनांक 18.04.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रत्येक गो–आश्रय स्थलों एवं मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित / बेसहारा गोवंश सहभागिता योजनान्तर्गत सुपुर्दगी में दिये गये गोवंश के भरण–पोषण की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से पशुपालन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सीधे हस्तान्तरित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये हैं।

2– उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18.04.2023 द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तण किये जाने की प्रकिया में तेजी लाये जाने हेतु शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत् कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) प्रदेश के गो–आश्रय स्थलों में संरक्षित गोवंश एवं उनसे संबंधित विभिन्न कार्य कलापों का ऑनलाइन रियल टाइम मॉनिटरिंग, मूल्याँकन एंव वित्तीय प्रबन्धन हेतु गो–आश्रय पोर्टल व मोबाइल एप तैयार कर लिया गया हैं। गो–आश्रय पोर्टल पर प्रत्येक गो–आश्रय स्थल का बैंक खाता विवरण तथा संरक्षित गोवंश के सम्पूर्ण डाटा इन्ट्री किये चुके हैं। गो–आश्रय पोर्टल को कोषागार के साथ इन्ट्रीग्रेट करते हुए डी0बी0टी0 प्रक्रिया का संचालन किया जायेगा।

(2) प्रत्येक गौ–आश्रय स्थल में डी0बी0टी0 द्वारा भुगतान करने की प्रक्रिया के प्रथम चरण में गो–आश्रय स्थल से सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 25 तारीख तक मोबाइल एप के माध्यम से भरण–पोषण की धनराशि गोवंश संख्या के सापेक्ष फण्ड रिक्वेस्ट अपलोड की जायेगी। इसके उपरान्त उपर्युक्त डिमान्ड खण्ड विकास अधिकारी के वेब पेज पर प्रदर्शित होगी। संबंधित खण्ड विकास अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) तथा पशुचिकित्साअधिकारी द्वारा प्रत्येक माह की 25 से 30 तारीख तक ऑनलाइन एप के माध्यम से गो–आश्रय स्थल में जाकर संरक्षित गोवंश का संयुक्त हस्ताक्षरित रिर्पोट पोर्टल के माध्यम से अपलोड किया जायेगा, जिसके लिए गो–आश्रय स्थलों की जियो–फैनसिंग की गयी हैं। प्रत्येक माह की 01 से 03 तारीख के मध्य मुख्य पशुचिकित्साअधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सत्यापन रिर्पोट निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम

से प्रेषित की जायेगी। प्राप्त रिर्पोट के आधार पर गोवंशो के भरण–पोषण हेतु धनराशि सम्बन्धित गो–आश्रय स्थल (सम्बन्धित पंचायत), गो आश्रय स्थल का संचालन करने वाली समिति अथवा संस्था (यथास्थिति) को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे हस्तान्तरित की जायेगी।

(3) मा0 मुख्यमंत्री निराश्रित/बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को डी0बी0टी0 द्वारा भुगतान करने की प्रक्रिया के द्वितीय चरण में सुपुर्दगी में दिये गये गोवंश का प्रत्येक माह की 25–28 तारीख के मंध्य सत्यापन ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी एवं लेखपाल के द्वारा किया जायेगा एवं फण्ड रिक्वेस्ट व सत्यापन रिर्पोट संयुक्त हस्ताक्षर से सम्बन्धित विकास खण्ड अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी एवं खण्ड विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित सत्यापन रिर्पोट प्रत्येक माह की 30 तारीख तक मुख्य पशुचिकित्साधिकारी कार्यालय में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। उक्त के पश्चात 01–03 तारीख तक मुख्य पशुचिकित्साधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त प्रतिहस्ताक्षरित रिपोर्ट पोर्टल के माध्यम से निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को प्रेषित की जायेगी। प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर गोवंशो के भरण–पोषण हेतु धनराशि सहभागिता योजना के लाभार्थियों को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक डी0बी0टी0 के माध्यम से पशुपालन निदेशालय द्वारा सीधे हस्तान्तरित की जायेगी। उपरोक्त गाइडलाइन का जुलाई–2023 से अनुपालन किया जाये, जिससे सहभागिता योजनान्तर्गत लाभार्थियों को माह जुलाई–2023 का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से सुनिश्चित हो सके।

(4) प्रत्येक गो–आश्रय स्थल को डी0बी0टी0 द्वारा भुगतान से सम्बन्धित प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सम्मिलित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना नितान्त आवश्यक है। पशुपालन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ में दिनाँक 05–07–2023 को डी0बी0टी0 हेतु ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स 10:00 बजे से 01:00 बजे तक प्रशिक्षण दिया गया है। जिसमें पोर्टल विकसित करने वाली एजेन्सी तथा एकीकृत नियन्त्रण कमान केन्द्र द्वारा प्रत्येक जनपद से नामित नोडल अधिकारी व कम्प्यूटर ऑपरेटर को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जा चुका है। इन मास्टरट्रेनर द्वारा सम्बन्धित जनपद में समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों (उप जिलाधिकारी, बी0डी0ओ0, लेखपाल एवं ग्राम पंचायत अधिकारी) को दिनांक 07.07.2023 को प्रशिक्षण प्रदान किया गया हैं। समस्त गो–आश्रय स्थलों को भरण–पोषण की धनराशि जुलाई–2023 में डी0बी0टी0 के माध्यम से की जा सके।

3– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार कार्यवाही शीर्ष प्राथमिकता पर समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शिवसहाय अवस्थी)
विशेष सचिव

Signed by शिव सहाय अवस्थी
Date: 1[illegible]-07-2023 16:35:23
Reason: Approved